न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 318/2022

प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र, जाति जाट, निवासी गांव ढिगाल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, मो0न0 8560862050

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 12.10.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 318/2022 पर दिनांक 27.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4792–93 दिनांक 27.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37 (7)(8) विविध/चुनाव/2011/1420 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील सं0 318/2022 मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है (1) अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.07.2022 को लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। (2) अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं द्वारा अपने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/293 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नवलगगढ को स्थानान्तरित किया गया था। (3) उपखण्ड अधिकारी अधिकारी, नवलगढ ने अपने पत्र क्रमांक 371 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार को अवगत करवाया गया कि आप द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित सूचना जिला कार्यालय, झुंझुनूं की निर्वाचन शाखा मे सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। (4) अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को इस कार्यालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु अपीलार्थी द्वारा आज [illegible] कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिसके क्रम मे अपीलार्थी को सूचना उप[illegible] जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उप[illegible]
6. लोक सूचना अधिकारी ([illegible] निर्वाचन) झुंझुनूं ने पत्[illegible] 37 (7)(8) विविध/चुनाव/2011/1420 दिनांक 10.10.2022 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस [illegible] (1) अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.07.2022 को लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। (2)

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 16:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं द्वारा अपने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/293 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नवलगगढ को स्थानान्तरित किया गया था। (3) उपखण्ड अधिकारी अधिकारी, नवलगढ ने अपने पत्र क्रमांक 371 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार को अवगत करवाया गया कि आप द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित सूचना जिला कार्यालय, झुंझुनूं की निर्वाचन शाखा मे सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। (4) अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को इस कार्यालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय मे कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिसके क्रम मे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:47 IST
Reason: SelfAttested